

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0 108 / 2026

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र गानसिंह जाति राजपूत निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम्


1. उषा कंवर पुत्री पवनसिंह
2. कृष्णा कंवर पत्नी पवन सिंह
3. चन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह
4. शिवभगवान पुत्र पवन सिंह
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
- जाति राजपूत निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी एवं प्रतिवादी काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:-वादी को चक नं0 20 केएनएन के प0न0 272/370 मु0 58 किला न0 11,20 कुल 0.506 है0 व प्रतिवादी सं 3 चन्द्र को प्राप्त आराजी चकनं0 20 केएनएन के प0न0 271/370 मु0 57 किलानं0 16/1/.215 है0 तथा 16/2/.038 है0, 17/.253 है0 प्रतिवादीगण सं0 1,2, 4 को प्राप्त आराजी ब0हि0ब0 चक नं0 20 केएनएन के प0न0 271/370 मु0 57 किलानं0 14, 15/1/.215, 15/2/.038, है0 इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर (R.A.S.)
टिब्बी अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।